न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 187/2025 (GCMS : 2025/280)

Web Copy - Not Official

कश्मीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 बीबी ढाणी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **अजीत गोदारा, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर**
2. **सुखदीप कौर** पत्नी बन्त सिंह पुत्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी [illegible]पुरा ढाणी तहसील मटीली सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **बिन्द्र कौर** पत्नी दुल्ला सिंह पुत्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी कुतिवाल खुर्द तहसील मौड मण्डी जिला बठिण्डा (पंजाब)
4. **सुखवन्त सिंह** उर्फ श्रवण सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 बीबी ढाणी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **परमजीत कौर** पत्नी सुखवन्त सिंह उर्फ श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी 9 बीबी ढाणी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **सन्दीप सिंह** पुत्र सखवन्त सिंह उर्फ श्रवण सिंह निवासी 9 बीबी ढाणी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **मनप्रीत कौर** पुत्री सुखवन्त सिंह उर्फ श्रवण सिंह निवासी 9 बीबी ढाणी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **कर्मजीत कौर** पत्नी डिप्टी सिंह पुत्री जरनैल सिंह निवासी 281 हैड तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
9. **कुलदीप सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह निवासी 281 हैड तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
10. **जसप्रीत कौर** पत्नी जसविन्द्र सिंह पुत्री डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
11. **सुखजीत कौर** पत्नी जगतार सिंह पुत्री डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी नंगला तहसील सोबो की तलबंडी जिला बठिण्डा
12. **चरणजीत कौर** पत्नी गोरा सिंह पुत्री जरनैल सिंह निवासी 281 हैड तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
13. **जसवीर कौर** पत्नी रेशम सिंह पुत्री जरनैल सिंह निवासी कुतिवाल खुर्द तहसील मौड मण्डी जिला बठिण्डा, पंजाब
14. **गुरमीत कौर** पत्नी शमशेर सिह पुत्री जरनैल सिंह निवासी भाई भक्ता तहसील भाईभक्ता जिला बठिण्डा पंजाब

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

01.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल [illegible] एवं अप्रार्थी [illegible] 14 के अधिवक्ता श्री शुभम पचार उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि एक वाद अन्तर्गत धाराम 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 81/2025 एवं

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 43 / 2025 अनवानी कश्मीर सिंह बनाम जरनैल सिंह उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो वादी की बहने है, उक्त भूमि का विभाजन करवाये बिना अपने नाम करवाकर बेचान करने की फिराक में हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा, आदि का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया हुअ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के परिवार वाले राजनैतिक प्रभाव के व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी पर पूर्व विधायक का राजनैतिक दबाव डलवा रहे है। पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दवाब होने के कारण पीठासीन अधिकारी उक्त राजस्व का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमदा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में विशेष रूचि लेकर नजदीक की तारीख पेशी देकर राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रार्थी के खिलाफ करने पर आमदा हैं। इस कारण प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के परिवार वाले पीठासीन अधिकारी से मिलकर निर्णय अपने पक्ष में करवा लेगें।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विविध प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी न करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब के आधार पर निर्णय करने पर उतारू है तथा खुले न्यायालय में अस्थाई निषाधाज्ञा खारिज करने की मंशा प्रगट की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के रिश्तेदारों के प्रोग्राम में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने रिश्तेदारों से सामने ऐलानियां कहा गया है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है अब कुछ की दिनों में प्रकरण का निर्णय उनके पक्ष में हो जायेगा, जिस पर प्रार्थी को संदेह पैदा हुआ कि [illegible] इंसाफ नहीं होगा। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने [illegible] न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02, 03 एवं 14 के विद्वा[illegible]धिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी स्वयं

ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है और अब उन्हें संदेह पैदा हो गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। प्रकरण पर निर्णय वर्तमान पीठासीन अधिकारी करें या अन्य सक्षम अधिकारी, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं। वे मात्र अपने प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करवाना चाहते है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 14.07.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 81/2025 एवं विविध प्रकरण संख्या 43/2025 अनवानी कश्मीर सिंह बनाम जरनैल सिंह को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का मिलीभगत सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित [illegible] चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested